प्रेषक.

एन.सिंह सेंगर, समाजसेवी,

निवास ताजपुर, पत्रालय बिधूना, जनपद औरया।

मोबा 7302757448, ईमेल ns.sengar66@gmail.com

सेवा में.

परम् आदरणीय श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी, प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय शासन, भारत सरकारी, दिल्ली—110001,

नई ई-मेल पते द्वारा प्रेषित

विषयः नौकरी–भर्ती आवेदनों मे भारी शुल्क वसूली के बंदरबांट प्रभावित बेरोजगारों के हितों की सुरक्षार्थ विशेष अनुरोध पत्र मान्यवर

भारतीय राज्य उ.प्र. के अनेक संस्थान विश्वविद्यालय, विभाग, आयोग नौकरी—भर्तियों के लिए बने परीक्षा—साक्षात्कार के नाम पर आवेदक—बेरोजगारों से शुल्क की मोटी रकम वसूल रहे हैं तथा वसूली गई शुल्क रकम का उपभोग परीक्षार्थी आवेदकों के यात्रा—भत्तों में न होकर वेतनगोगी कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा परीक्षकं बनकर दुर्पेयोग और आपस में बंदर—बाँट कर हड़पी जा रही है। जिसके कारण जहाँ एक ओर नौकरी—भर्तियों के गरीब—बेरोजगार आवेदक बुरी तरह प्रभावित हो रहे है वहीं दूसरी ओर भर्ती परीक्षा—साक्षात्कारों के नाम पर भृष्ट परीक्षक शुल्क हड़पकर माला—माल होते दिख रहे हैं। जिस पर तत्काल जबाबदेह अंकुश लगाए जाने हेतु आपके समक्ष निम्नलिखित तथ्य—सुझाव सादर प्रस्तुत हैं।

- 1. यह कि, उ.प्र. राज्य के अनेक संस्थान विश्वविद्यालय, विभाग, आयोग सरकारी—सार्वजनिक नौकरी—भर्तियों में परीक्षा— सांक्षात्कार के नाम पर आवेदक—बेरोजगारों से शुक्क की मोटी रकम वसूलने के बावजूद शुक्क रकम का उपमोग परीक्षार्थी—आवेदकों के यात्रा—आवास भतों में करके स्वयं वेतनमोगी कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा दुर्पयोग च आपस में बंदर—बाँट कर हड़पा जा रहा है। जिसके कारण जहाँ एक ओर नौकरी—भर्तियों के गरीब—बेरोजगार आवेदक बुरी तरह प्रमावित हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर मर्ती परीक्षा—साक्षात्कार की शुक्क घोटालों करके मृष्ट माला—माल हो रहे हैं। जिस पर जबाबदेह अंकुश लगाने हेतु श्रीमानजी द्वारा कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है।
- यह कि, सरकारी—सार्वजनिक नौकरियों की मर्तियों हेतु भारतीय संघ—राज्यों में अनेक लोकसेवा चयन आयोग, बोर्ड, नियामक, भर्ती समितियाँ आदि संचालित हैं। जिनकी भर्ती—प्रक्रिया समान होने के बावजूद शुल्क रु.25 से रु.3000 तक अलग—अलग होती है और इनके अधिकाँश परीक्षक सरकारी कर्मचारी—अधिकारी और वेतनभोगी होते हैं तथा अपनी निर्धारिल ड्यूटी से अनुपस्थित रहने एवं नौकरी का वेतन लेने के बावजूद नौकरी—मर्तियों में परीक्षक बनकर शुल्क में बंटबारा कर अनुचित लाम ले रहे हैं। जिंस पर तत्काल अंकुश लगाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।
- यह कि, नौकरी हेतु आवेदन करने वाले अधिकाँश आवेदक गरीबी-मुखमरी व बेरोजगारी के शिकार हैं, जो नौकरी भर्ती शुल्क दं पानें में असमर्थ रहने और नौकरी-भर्तियों में भ्रष्टाचार के पनपते नौकरी पाने से बंचित हो रहे हैं।
- 4. यह कि, अधिकाँश विश्वविद्यालय एवं संगठन—बोड्स—कांलेज आवेदन शुल्क लेने के बावजूद न तो शुल्क की रसीद देते हैं और न ही परीक्षा—साक्षात्कार में बंचित आवेदकों की शुल्क वापस करते हैं व हितबद्धों की नियुक्ति देते हैं।
- 5. यह कि, उ.प्र.राज्य के अनेक विश्वविद्यालयों—कालेजों—विभागों की भर्तियों में स्क्रीनिंग कमेटी रिपोर्ट्स में आवेदनों में दर्ज अईताओं का उचित परीक्षण व आवेदक का साक्षात्कार बिना मनमानी मेरिट बनाकर योग्य लोगों को नौकरी से जबरदस्त बंचित किया जा रहा है तथा बी.टी.सी.पशिक्षण के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, अंकुश लगना चाहिए।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि उक्त तथ्यों-सुझावों पर विचार कर नौकरी-मर्ती आवेदनों मे आवेदकों से ली जा रही भारी शुल्क एवं आवेदन शुल्क दुर्पयोग और बंदर-बांट पर जबाबदेह अंकुश लगाकर बेरोजगार आवेदकों के हितों की सुरक्षार्थ गरिमामयी कार्यवाही जनहित में अवश्य करें। सधन्यवाद।

आदर सहित।

दिनांक 23-01-2021

एन. सिंह सेंगरे 2-1-

निवास-ताजपुर-बिधूना, जनपद औरैया.

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिः

- 1. राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री-मुख्यसचिव, उ.प्र.शासन लखनऊ।
- 2. अध्यक्ष-सचिव, लोकसेवा आयोग, इलाहाबाद।
- 3 अध्यक्ष-सचिव, उच्चतर लोक सेवा चयन आयोग, उ.प्र., इलाहाबाद।
- निदेशक, उच्चशिक्षा, उ.प्र., लखनऊ।